इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019—पौष 14, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चंद गुप्ता, आयएएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 11 जनवरी 2019 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मुकेश चंद गुप्ता की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे, संचालक, बजट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चंद गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मुकेश चंद गुप्ता, द्वारा आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

(5) अवकाशकाल में श्री मुकेश चंद गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चंद गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-766-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शोभित जैन, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2, 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 3 दिसम्बर 2018 के स्थानीय को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

क्र. ई.-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को दिनांक 14 से 19 दिसम्बर 2018 तक छह दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्र. ई.-5-791-आयएएस-लीव-5(एक).—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्दौर को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती निधि निवेदिता, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से दिनांक 2 जनवरी 2019 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री अशोक कुमार चौहान, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार चौहान, राप्रसे, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई.-5-886-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस., कलेक्टर, अलीराजपुर को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 फरवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री गणेश शंकर मिश्रा की अवकाश अवधि में श्री सुरेश वर्मा, राप्रसे, अपर कलेक्टर जिला अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा कलेक्टर, अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुरेश वर्मा, राप्रसे, कलेक्टर जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-972-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष भार्गव, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष भार्गव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2018

क्र. ई-1-333-2018-5-एक.—भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 61-MPLA-2018, दिनांक 5 दिसम्बर 2018 के परिपालन में सुश्री तन्वी हुड्डा, भाप्रसे (2014), अपर कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई, जिला सागर का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति होने तक सौंपा जाता है.

(2) श्री विकास सिंह, राप्रसे (पी-2014), उप जिलाध्यक्ष, सागर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जिला सागर से स्थानांतरित कर अवर सचिव, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सीहोर को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज श्रीवास्तव, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग तथा संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा न्यासी सचिव, भारत भवन तथा आयुक्त-सह-संचालक, स्वराज संस्थान एवं अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 12 से दिनांक 16 नवम्बर 2018 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई.-5-952-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नरेश पाल कुमार, आयएएस., (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 4 जनवरी 2019 तक सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नरेश पाल कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नरेश पाल कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेश पाल कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, आयएएस., कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 18 से 25 फरवरी 2019 तक, आठ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री अमनवीर सिंह बैंस, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमनवीर सिंह बैंस, भाप्रसे कलेक्टर, जिला रायसेन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018

क्र. ई.-5-885-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक, (कार्मिक) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2018 तक, पंद्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं महाप्रबंधक (कार्मिक), मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल एवं उपसचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तरूण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-948-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अरूणा गुप्ता, भाप्रसे (2004), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 10 से 24 दिसम्बर 2018 तक, पंद्रह दिन का अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अरूणा गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. अरूणा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-5-01-2017-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवाशर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नलिखित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 01-10-2018 से दिनांक 06-10-2018 तक.	06 दिन	पूर्व वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	-
02	दिनांक 22-10-2018 से दिनांक 26-10-2018 तक.	05 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-5-04-2011-एक (1) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. के. 13025-01-2018-यू. एस. II, दिनांक 14 नवम्बर 2018 द्वारा माननीय श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, माननीय श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव माननीय श्री शैलेन्द्र शुक्ला, की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.

2. माननीय न्यायाधिपति श्री विष्णु प्रताप सिंह चौहान, माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 2018 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

क्र. एफ-5-04-2011-एक (1) भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. के, 11017-14-2018-यू. एस. I, दिनांक 08 नवम्बर 2018 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति श्री हुलुवादी गंगाधरप्पा रमेश को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.

2. माननीय न्यायाधिपति श्री हुलुवादी गंगाधरप्पा रमेश द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2018 को अपरान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-(1).—श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें 22 से 26 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यतावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1(ए)11-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (पूर्व) को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 27 दिसम्बर 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, — स्वयं
2. श्रीमती गीता गोस्वामी, — पत्नी
3. कु. कनुप्रिया गोस्वामी — पुत्री
4. कु. दिव्यांशी गोस्वामी — पुत्री

2. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे का चालू कार्य श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला-इन्दौर (पश्चिम) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, इन्दौर (पूर्व) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 20-2006-ब-2-दो.—राज्य शासन, द्वारा श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 21 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों (दिल्ली, बांगडोगरा, गुरूडोगमार, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग) वाया जबलपुर/रायपुर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति

प्रदान की जाती है:—

1.	श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ,	—	स्वयं
2.	श्रीमती विनीता कुलश्रेष्ठ,	—	पत्नी
3.	अमन कुलश्रेष्ठ,	—	पुत्र
4.	कु. अमिता कुलश्रेष्ठ,	—	पुत्री

2. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रीतम सिंह भापुसे, पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेन्ज, शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए) 123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ को दिनांक 13 दिसम्बर 2018 से 26 दिसम्बर 2018 तक कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री महेश चंद्र जैन,	—	स्वयं
2.	श्रीमती उषा जैन,	—	पत्नी
3.	निहित जैन,	—	पुत्र
4.	सहित जैन	—	पुत्र

2. श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रकाश परिहार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-झाबुआ द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला-झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चंद्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजु पवन भदौरिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 20-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक (महिला अपराध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15,16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे का चालू कार्य श्री संदीप दीक्षित, रापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक (महिला अपराध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक, (महिला अपराध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 54-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू, भोपाल को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2018 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 दिसम्बर, 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ईओडब्ल्यू के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 92-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से दिनांक 2 जनवरी 2019 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश 15, 16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री योगेश चौधरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (का.व्य/सु.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)130-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री मनोज शर्मा, भापुसे, उप महानिरीक्षक (काउण्टर इंटेलिजेंस/का. व्य. एवं सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2018 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) में परिवार सहित पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश) वाया पश्चिम बंगाल की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री मनोज शर्मा, — स्वयं
2. श्रीमती ज्योति शर्मा, — पत्नी
3. उदिता शर्मा, — पुत्री

2. श्री मनोज शर्मा, भापुसे का चालू कार्य डॉ. आशीष भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक (सामान्य), विशेष शाखा, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मनोज शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक (काउण्टर इंटेलिजेंस/का. व्य. एवं सुरक्षा) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री मनोज शर्मा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्री मनोज शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)31-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल को खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश, एवं दिनांक 15, 16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अण्डमान एवं निकोबार की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्रीमती मोनिका शुक्ला, — स्वयं
2. श्री शशिकांत शुक्ला, — पति
3. उदयन शुक्ला, — पुत्र
4. देवांशी शुक्ला, — पुत्री

2. श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, का चालू कार्य श्री अजय पाण्डेय, रापुसे, उप सेनानी 25वीं वाहिनी, विसबल,भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए)148-95-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) म. प्र. भोपाल को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018, के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)155-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री अनिल कुमार, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 से 21 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश, एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2018 के ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 15, 16 व 25 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) वेगामॉन, त्रिवेन्द्रम (केरल) भ्रमण की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री अनिल कुमार	—	स्वयं
2.	श्रीमती अनुपमा कुमार	—	पत्नी
3.	अनिंदिता आनंद शर्मा	—	पुत्री
4.	अनुनय कुमार शर्मा	—	पुत्र

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)03-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री गौरव तिवारी, भापुसे 2010 पुलिस अधीक्षक, रतलाम को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक कुल छह दिवस अर्जित अवकाश, एवं दिनांक 15-16 व 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्डवर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) गृह नगर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री गौरव तिवारी,	—	स्वयं
2.	श्रीमती आभा तिवारी,	—	पत्नी
3.	कु. अरन्या	—	पुत्री

2. श्री गौरव तिवारी, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रदीप शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री गौरव तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री गौरव तिवारी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्री गौरव तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 40-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में मदुराई, रामेश्वरम (तमिलनाडू) की अवकाश यात्रा सुविधा श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना पत्नी के साथ एवं दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे का चालू कार्य श्री राकेश जैन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाश काल में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)31-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कुमार सौरभ, भापुसे 2007, पुलिस अधीक्षक, शहडोल को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश, एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में पोर्ट ब्लेयर की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री कुमार सौरभ	—	स्वयं
2.	श्रीमती मेघा सिन्हा	—	पत्नि
3.	प्रियांशी सहाय	—	पुत्री
4.	आरव	—	पुत्री

2. श्री कुमार सौरभ, भापुसे का चालू कार्य श्री प्रवीण भूरिया, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाश काल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (बी)35-17-बी-4-दो.—राज्य सेवा परीक्षा- 2015 के माध्यम से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 6642-59-2016-चयन, दिनांक 21 जुलाई 2017 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन उपरान्त नियुक्ति हेतु अनुशंसित मुख्य सूची के सरल क्र.-08 (अनुक्रमांक-151687) श्री अमन सिंह लोहान, (सीट-अनारक्षित, श्रेणी-सामान्य) को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति उपरान्त जिला ग्वालियर में पदस्थ किया गया है. श्री अमन सिंह लोहान द्वारा गृह विभाग को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त 2018 में यह लेख किया है कि उनका चयन भारत सरकार के अंतर्गत सहायक संचालक, विदेश व्यापार के पद पर हो गया है. उनके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पद पर वे वर्तमान में परीक्षवीक्षा पर प्रशिक्षणरत है अतः म. प्र. शासन, गृह विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 के संदर्भ में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ है.

(2) अतः विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जुलाई 2018 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त एवं जिला ग्वालियर में पदस्थ करने संबंधी श्री अमन सिंह लोहान, म. नम्बर 62, सेक्टर-13, बाग-2, हिसार, हरियाणा-125001 का आदेश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 2018

क्र. एफ 1(ए)143-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, हरदा को दिनांक 22 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश की खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में गृह नगर बस्ती (उत्तर प्रदेश) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री राजेश कुमार सिंह	—	स्वयं
2.	श्रीमती वंदना सिंह	—	पत्नि
3.	कु. सत्कृति सिंह	—	पुत्री
4.	उत्प्रभ गौतम	—	पुत्री

2. श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती हेमलता कुरील, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)62-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, नीमच को दिनांक 26 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018 में अवकाश यात्रा सुविधा के अंतर्गत दिल्ली, पुणे, मुम्बई एवं दमन की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री तुषारकांत विद्यार्थी	—	स्वयं
2.	श्रीमती कामना विद्यार्थी	—	पत्नि
3.	श्री संस्कार विद्यार्थी	—	पुत्र

2. श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे का चालू कार्य श्री जितेन्द्र सिंह पवार, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला नीमच द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तुषारकांत विद्यार्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)192-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 24 व 26 से 29 दिसम्बर 2018 तक कुल पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23, 25 व 30 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्डवर्ष 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) जम्मू एवं कश्मीर भ्रमण की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित प्रदान की जाती है:—

1.	श्री विपिन कुमार माहेश्वरी	—	स्वयं
2.	श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी	—	पत्नि
3.	आयुष माहेश्वरी	—	पुत्र
4.	वरूण माहेश्वरी	—	पुत्र

2. अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रबंध) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 1(ए) 176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 23 दिसम्बर 2018 से 3 जनवरी 2019 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6078,(मेरिट क्र. 40).— राज्य शासन, श्री राहुल दुबे पुत्र श्री विनोद कुमार दुबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला लखनऊ (उत्तर प्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 02 जून 1993 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6077,(मेरिट क्र. 68).— राज्य शासन, सुश्री पूजा अहिरवार पुत्री श्री अशोक कुमार अहिरवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 जुलाई 1991 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6043,(मेरिट क्र. 76).— राज्य शासन, श्री जगत प्रताप अटल पुत्र श्री रामहेत सिंह अटल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई 1990 है.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6114,(प्रतीक्षा सूची क्र. 04).— राज्य शासन, डॉ. मुकेश मलिक पुत्र श्री किताब सिंह मलिक मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला रोहतक (हरियाणा) है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1974 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6090,(प्रतीक्षा सूची क्र. 10).—राज्य शासन, श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री केशव कुमार सिंह मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश, दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला पटना (बिहार) है. उसकी जन्मतिथि 4 जून 1979 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 5903,(प्रतीक्षा सूची क्र. 09).— राज्य शासन, श्री अनुज त्यागी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह त्यागी, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संसोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश, दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 16 अगस्त 1977 है.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 5749,(मेरिट क्र. 56).—राज्य शासन, सुश्री शिवानी सैनी पुत्री श्री महेश कुमार सैनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 4 फरवरी 1992 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6131,(मेरिट क्र. 72).—राज्य शासन, श्री सीताराम दास पुत्र श्री गेंदा लाल दास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 28 सितम्बर 1993 है.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6071,(प्रतीक्षा सूची क्र. 03).—राज्य शासन, श्री देवेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री करतार सिंह पाल मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला सन्त नगर (उत्तरी दिल्ली) है. उसकी जन्मतिथि 6 सितम्बर 1980 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6146,(मेरिट क्र. 63).—राज्य शासन, श्री आनन्द बागरी पुत्र श्री इन्द्रभान बागरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1993 है.

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक) 6176,(प्रतीक्षा सूची क्र. 08).—राज्य शासन, सुश्री लीना दीक्षित पुत्री श्री सूर्य नारायण दीक्षित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 (यथा संशोधित) के नियम-5 (1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश, दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा.

अभ्यर्थी का गृह जिला भिण्ड (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1979 है.

फा. क्रं. 5540-इक्कीस-ब(दो)-2018.—राज्य शासन, एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2017, 12 सितम्बर 2017 एवं 8 दिसम्बर 2017 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर एवं नई दिल्ली में निम्नानुसार नियुक्तः—

अतिरिक्त महाधिवक्ता

1. श्री सौरभ मिश्रा (नई दिल्ली)
2. श्री आर. के. वर्मा (जबलपुर)
3. श्री समदर्शी तिवारी (जबलपुर)
4. श्री विशाल मिश्रा (ग्वालियर)
5. श्री एल. एन. सोनी (इंदौर)

उप महाधिवक्ता

1. श्री पुष्पेन्द्र यादव (जबलपुर)
2. श्री आशीष आनंद बर्नाड (जबलपुर)
3. सुश्री अमी प्रबल (ग्वालियर)
4. श्री पुष्यमित्र भार्गव (इंदौर)
5. श्री उमेश गजांकुश (इंदौर)

शासकीय अधिवक्ता

1. श्री राहुल ए. सेठी (इंदौर)

द्वारा प्रेषित त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करते हुये उन्हें कार्यमुक्त करता है.

फा. क्र. 5540-अ-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर/नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन की जाती हैं:—

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

1. श्री शंशाक शेखर दुगवेकर, अधिवक्ता
2. श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर

1. श्री रविन्द्र छाबड़ा, अधिवक्ता

अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. श्री अंकुर मोदी, अधिवक्ता

उप महाधिवक्ता, जबलपुर सम्बद्ध-नई दिल्ली

1. श्री वरूण कुमार चोपड़ा, अधिवक्ता
2. श्री वैभव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-10(ए) सहपठित धारा 15(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ए. पी. श्रीवास्तव, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2018

क्र. 1453-1081-2018-ए-ग्यारह.—बॉयलर्स एक्ट 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मेसर्स जेपी निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी जिला सिंगरौली को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5024 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 29 नवम्बर 2018 से 28 मई 2019 तक की छूट प्रदान करता है.

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा-18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलछट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

उक्त आदेश को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंदा राठौर, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. 2681-3232-18-802.—किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायसेन	रायसेन	श्री मोहम्मद अरशद, CJM.

No. 2681-3232-18-802.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the Said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Raisen	Raisen	Shri Mohd. Arshad, CJM.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-23-11-2018-अठारह-6.—विभागीय आदेश क्रमांक 3-31-2015-अठारह-6- दिनांक 12 जुलाई 2016 द्वारा श्री कृष्ण मुरारी मोघे को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल भोपाल नियुक्त किया गया था. तदोपरांत विभागीय आदेश क्रमांक एफ-23-11-2018-अठारह-6, दिनांक 18 जुलाई 2018 द्वारा इनके कार्यकाल में 02 वर्ष की वृद्धि प्रदान की गई थी.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री कृष्ण मुरारी मोघे के मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल के अध्यक्ष का प्रभार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपता है.

क्र. एफ-07-02-2018-अठारह-6.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम 1972 (क्र. 3 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) (च) तथा धारा-6 एवं 7(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मीना राजेन्द्र पटेल, रेहटी, जिला सीहोर को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड, उपसचिव.

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-03-05-2016-62.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2017 द्वारा राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण में श्री संजय सिंह पिता श्री चैन सिंह जाधव मु. पो. सिरपुर, जिला बुरहानपुर को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

क्र. एफ-03-05-2016-62.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2017 द्वारा राज्य विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़

जाति विकास अभिकरण में निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त किया गया था:—

1. श्री कृष्ण चन्द्र पिता बहादुर सिंह सिसौदिया, ग्राम पंथ पिपलोदा, तहसील-ताल, जिला-रतलाम, मध्यप्रदेश.
2. श्रीमती यमुना पति गोपाल सिंग, ग्राम मझान्या, पोस्ट सुनेरा, तहसील एवं जिला शाजापुर.
3. श्री नवल पिता रसा नायक, ग्राम-करपा, तहसील-पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
4. श्री सरदार नाथ पिता उमराव नाथ, ग्राम-झरपा, पोस्ट तनोडीया, जिला आगर.
5. श्री सौदान सिंग पिता हरीराम शमशाबाद, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश एस. थेटे, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. डी-17-27-2004-चौदह-3.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये गये अध्यक्ष, श्री ईश्वरलाल पाटीदार, का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

प्रकाश कुमार माखीजा, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. बी-15-1-2004-चौदह-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये अध्यक्ष श्री माधव सिंह दांगी एवं उपाध्यक्ष श्री मुन्ना सिंह भदौरिया का मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

जितेन्द्र सिंह परिहार, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-5-4-2012-अट्ठावन.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2018 के द्वारा राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रौपणी अधिनियम, (विनियमन), 2010 की धारा 8 (1) ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन), 2010 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन), नियम 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किए जाने वाले फल/पौधों की अधिकतम दरें 2018-19 के लिए घोषित की गई थी, जिसके अनुक्रमांक 07 में नीबू गूटी की दर रुपये 48/- एवं अनुक्रमांक 08 में नींबू बीजू की दर रुपये 30/- की गई थी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है.

क्रमांक	नाम फलपौध	वर्ष 2018-19 में दर प्रति फलपौध	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नींबू गूटी	18/-	आरसीओ अनुसार
2	नींबू बीजू	15/-	आरसीओ अनुसार

2. उक्त संबंध में शेष अधिसूचना यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बबीता वसुनिया, अवर सचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इंदौर (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-2-18-रा.स.-यू.ए.1-2152.—डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 (क्र. 2 सन् 2016) की धारा 09 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कंडिका 2.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इंदौर (म. प्र.) एतद्द्वारा प्रो. आशा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इंदौर का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 5 के अनुसार शासित होंगी.

आनन्दीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन (म. प्र.)

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-4-18-रा.स.-यू.ए.1-2172.—प्रो. यजनेश्वर शास्त्री, कुलपति, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के दिनांक 18 दिसम्बर 2018 को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक के प्रावधान अनुसार प्रो. शास्त्री कुलपति पद पर कार्यरत नहीं रह सकेंगे.

2. अत:, मैं, आनन्दीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन (म. प्र.) एतद्द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल को आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित करती हूं.

आनन्दीबेन पटेल, कुलाध्यक्ष.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. सह. अधि.-स्था-18-2482.—मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा वर्ष 2018 में दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है.

(2) अत: उक्त के अनुक्रम में एवं म. प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, विनियम 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार अधिकरण में दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक न्यायालय में शीतकालीन अवकाश रहेगा.

(3) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

(मान. प्र. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

. . . . . , रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्र. 1641-एस.डब्ल्यू-18.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्र-2 की धारा में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-20-14-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए, थाना पार्वती की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

(एक) नीचे दी सारणी कॉलम (क) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय थानों को अपवर्जित करते हैं.

सारणी

पुलिस का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें अपवर्जित किया गया है.	स्थानीय क्षेत्र ग्राम मोहल्ले का नाम	पुलिस का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है.
(1)	(2)	(3)
पुलिस थाना आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर	1. अलीपुर 2. अतरालिया 3. बनवीरपुर 4. बगडावदा 5. बोरखेड़ा 6. बरखेड़ा 7. भैरूपुर 8. चुपाड़िया 9. चाचाखेड़ी 10. छापरी 11. चिन्नौठा 12. डोराबाद 13. दुपाडिया 14. धनाना 15. डुका 16. डावरी 17. गोदी 18. गोपालपुर 19. हुशेनपुर खेड़ा 20. हीरापुर 21. हकीमाबाद 22. हमीदखेड़ी	पुलिस थाना पार्वती, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर.

(1)	(2)	(3)
पुलिस थाना आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर	23. कमालपुर खेड़ी 24. कुमडावदा 25. किलेरामा 26. खडीहाट 27. लोरासखुर्द 28. लसूडियासूखा 29. लक्ष्मीरामपुरा 30. मालखेड़ी 31. मालीपुरा 32. मीरपुरा 33. मुडला 34. मानकुंड 35. मैना 36. मिर्जापुर 37. निपानिया कलां 38. पावखेड़ी 39. पटारिया गोयल 40. पारदीखेड़ी 41. पगरियाराम 42. रूपेटा 43. रूपाहेडा 44. सेवदा 45 सूलखेड़ी 46. शंभुखेड़ी 47. सावतखेड़ी 48. टिटोरिया 49. ताजपुरा 50. मूदीखेड़ी 51. भमूरा 52. काजीखेड़ी	पुलिस थाना पार्वती, तहसील-आष्टा, जिला-सीहोर.

No. 1641-SW-Collector-Sehore-2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F2(K)-20-14-B-3-Two Bhopal, Date 30th July 2010 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below the State Government hereby Notifies Police Station Parwatee Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.—

1. Exclude form the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and

2. include the local area specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of said table.

NEW POLICE STATION PARWATEE TABLE

Name of Police Station (with tehsil and Distt.) from which excluded (1)	Local Area Name of Village, and Settlement No. Ward No. (2)	Name of Police Starion (with tehsil and distt.) from which included (3)
Police Thana Asta Tehil Asta, Distt. Sehore.	1. Alipura 2. Atrilya 3. Banveerpur 4. Bagadavada 5. Borkheda 6. Badhkheda 7. Bhairopur 8. Chupadiya 9. Chachakhedi 10. Chapri 11. Chinnotha 12. Dorabad 13. Dupadiya 14. Dhanaana 15. Duka 16. Davri 17. Godi 18. Gopalpur 19. Husnerpur Khedi 20. Haripur	Police Thana Asta, Parwatee Teh. Asta, Distt.-Sehore

(1)	(2)	(3)
Police Thana Asta	21. Hakimabad	Police Thana
Tehil Asta	22. Hameedkhedi	Parwatee
Distt. Sehore.	23. Kamalpur Khedi	Tehil Asta,
	24. Kumdawad	Distt.
	25. Kilyeram	Sehore
	26. Khadihat	
	27. Lorasakhurda	
	28. Lasudiyasukha	
	29. Laxmirampura	
	30. Maalkhedi	
	31. Malipura	
	32. Merapura	
	33. Mudla	
	34. Mankund	
	35. Maina	
	36. Mirzapur	
	37. Nipaniya Kala	
	38. Pavkhedi	
	39. Patariya Goyal	
	40. Pardikhedi	
	41. Pagariyaram	
	42. Roopeta	
	43. Roopaheda	
	44. Sevda	
	45. Sulkhedi	
	46. Sambhukhedi	
	47. Savtakhedi	
	48. Titoriya	
	49. Tajpura	
	50. Mudikhedi	
	51. Bhamura	
	52. Kajikhedi	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण पिथोडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2018

क्र. 1850-मप्रविनिआ.-2018.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 87(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक 252-मप्रविनिआ-2018, दिनांक 9 फरवरी 2018 द्वारा अधिसूचित राज्य सलाहकार समिति में श्री विवेक अग्रवाल के स्थान पर श्री द्वारिका गुप्ता, अध्यक्ष, विन्ध्य चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, सतना को नामांकित करता है.

राज्य सलाहकार समिति के अन्य सदस्य यथावत् रहेंगे.

No. 1850—MPERC—2018.—In exercise of the powers under Section 87(1) of the Electricity Act, 2003, the Commission hereby nominates Shri Dwarika Gupta, President, Vindhya Chamber of Commerce and Industries, Satna in place of Shri Vivek Agrawal in the State Advisory Committee notified *vide* Notification No. 252-MPERC-2018, dated 9th February, 2018.

Other Members of the State Advisory Committee shall remain unchanged.

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्र. 10727-वरिष्ठ लिपिक-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के लिए नीचे दर्शाये निम्नांकित तिथियों में कैलेण्डर वर्ष 2019 के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	16-8-2019	सोमवार	भुजलिया पर्व
2.	7-10-2019	सोमवार	दशहरा (महानवमी).

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	28-10-2019	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन.

उक्त अवकाश कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं होगा.

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्र. 2615-री.ए. डी. एम.-2018.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से—

1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करती, और;

2. कुटुम्ब न्यायालय नवीन पुलिस चौकी (थाना संयोगितागंज) जो कि जिला इन्दौर की तहसील में है, को पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	–	1. सम्पूर्ण जिला इन्दौर.

No. 2615-R.A.D.M.-2018.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette":—

(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and;

(ii) Declares District Family Court to be out Post (Police Station Sanyogitaganj) in Tehsil Indore, District indore and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and Distt.) from which excluded	Local Areas Name of Village
(1)	(2)	(3)
1.	—	1. All District, Indore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशान्त वरबड़े, कलेक्टर/उपसचिव.

कार्यालय, तहसीलदार एवं प्राधिकृत अधिकारी (मण्डी), राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2017

क्र. 293-मण्डी उप-निर्वा.-17-18.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति-179 राजनगर, जिला छतरपुर के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किये गये है.

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	निवास का पूरा पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती श्रीबाई पटेल	उपाध्यक्ष	ग्राम इमलिया, पोस्ट-पहरा, तहसील-राजनगर, जिला छतरपुर, (म. प्र.)

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल
ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज, पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक 7450-वि.यो.496-2018 भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

बालाघाट विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बालाघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त जबलपुर , संभाग जबलपुर,
2. कलेक्टर बालाघाट , जिला बालाघाट
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाडा
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद बालाघाट

अनुसूची

क्र.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपान्तरण पश्चात उपांतरित प्रावधान
1	2	3
1.	**6.2 क्षेत्राधिकार** 1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (कमांक 23 सन 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे। 12. कोई नही ।	**6.2 क्षेत्राधिकार** 1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(कमांक 23 सन 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक 3403/एफ-1-101/तैतीस/73 दिनांक 29.12. 1973 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे यथा-संशोधित मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे । 12. अधिनियम की धारा 30 एवं 30(क) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में

	13. कोई नही ।	अंकित कर पुनः संबंधित को वापस करेगें। स्वीकृति केवल संशोधित मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी । 13. विकास योजना में विभिन्न उपयोगो, परिक्षेत्रों तथा उपयोग परिक्षेत्रों के विकास हेतु उल्लेखित नियमों में यदि कोई विरोधाभाष की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी स्पष्टीकरण/व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
2.	**6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** (4) एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जाएगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे – जलप्रदाय, जल–मल निकास तथा वाहन विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवाये एवं सुविधाये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये।ऐसे भू–खण्डो का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगें।	**6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** (4)एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे – जलप्रदाय, जल–मल निकास तथा वाहन विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने से पूर्व उक्त सेवाये एवं सुविधाये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भू–खण्डो का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगें।
3.	**6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** (6) म0प्र0 भूमि विकास नियम – 1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।	**6.5 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन** (6) म0प्र0 भूमि विकास नियम – 2012 के परिशिष्ठ ञ (नियम 99) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
4.	**सारणी 6–सा–2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड** टीप– 2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भू–खण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु–इकाई भू–खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होगें।	**सारणी 6–सा–2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड** टीप– 2.सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भू–खण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 द्वारा अधिशासित होंगे।
5.	**6.5.1– बहु मंजिली इकाई निर्माण** म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के मापदंड अनुसार नियंत्रित होगें।	**6.5.1– बहु मंजिली इकाई निर्माण** म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधान लागू होगें।

6.	**6.6 वन आवास (फार्म हाउस)** विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र के कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फार्म संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि वन आवास के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है। इसके मापदण्ड निम्नानुसार होगें। 1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा। 2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा। 3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.50 मीटर होगी। 4. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करना होगा। जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा। 5. वन आवास केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा, जिसके लिये सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो। 6. वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर सीमान्त खुला क्षेत्र होगा। 7. वन आवास से जल स्त्रोत प्रभावित अथवा प्रदूषित नहीं होना चाहिये। 8. वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी। 9. किसी भी कृषि भूमि का भू–स्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।	**6.6 वन आवास (फार्म हाउस)** वन आवास (फार्म हाउस) के लिये म0प्र0 भूमि विकास नियम –2012 के नियम 17 के प्रावधान लागू होगें।
7.	**6.8 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका** टीप– उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।	**6.8 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका** टीप–उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।

8.	**6.8.1 ईंधन भराव एवं भराव–सह सेवा केन्द्र** पेट्रोल सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुशंसित है:– 1. मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी (अ) 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग –150 मीटर (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार (चौड़ाई) –250 मीटर 2. मार्गो के मध्य से पेट्रोल पम्प पेडस्ट्रल की दूरी भारतीय सड़क कांग्रेस के मानको के अनुसार होना आवश्यक है। 3. न्यूनतम भूखण्ड आकार :– (अ) केवल ईंधन भराव केन्द्र – 30X17 मीटर (ब) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र – न्यूनतम आकार 36X30 मीटर एवं अधिकतम 45X33 मीटर (स) भूखण्ड का अग्र भाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिये। (द) भूखण्ड का अग्र भाग मार्ग से लगा हुआ तथा अग्र भाग होगा। 4. 24 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गो पर नये पेट्रोल पम्प निषिद्ध होगें।	**6.8.1 ईंधन भराव एवं भराव–सह सेवा केन्द्र** मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (चार) के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।
9	**6.8.2 छविगृह के लिये मापदण्ड** **मार्ग की चौड़ाई** – छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी। **पार्किंग स्पेस /वाहन विराम क्षेत्र** – सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस. 100 वर्गमीटर अथवा ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिए, इनमें से जो भी कम हो। **छविगृह क्षमता** – 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से छविगृह क्षमता मान्य होगी । **भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र**– बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा। एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहो के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत। **सीमांत खुला क्षेत्र** – सामने – न्यूनतम 15 मीटर आजू–बाजू – न्यूनतम 4.5 मीटर/4.5 मीटर पृष्ठ – न्यूनतम 4.5 मीटर	**6.8.2 छविगृह के लिये मापदण्ड** मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 नियम 53 (3) (दो) के अनुरूप मान्य होगें।
10.	**6.8.3 उपहार गृह (होटल) हेतु मापदण्ड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गो को छोड़कर)** 1. भूतल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र – 33 प्रतिशत	**6.8.3 उपहार गृह (होटल) हेतु मापदण्ड (नगर केन्द्र एवं वर्तमान वाणिज्यिक मार्गो को छोड़कर)** उपहार गृह (होटल) हेतु 12 मीटर ऊँचाई तक के भवन हेतु बालाघाट

<table>
<tr>
<td></td>
<td>2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात — 1.00
– फर्शी क्षेत्र अनुपात 5 प्रतिशत होटल, गतिविधि से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
– अधिकतम तलघर का क्षेत्रफल भूतल स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र के अंदर ही मान्य होगा।
– यह परिसर किसी भी अन्य भू उपयोग में लिए जाने की दशा में नियम केवल उपहार गृह हेतु ही लागू होगें।
– वाहन विराम स्थल 6–सा–12 अनुसार होगें।</td>
<td>विकास योजना 2011 अनुसार ही मानदंड अनुशंसित है, किन्तु 12 मीटर से ऊँचे भवन हेतु मापदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 42 एवं सहपठित नियम 57 के अनुरूप होगें।
– कुल अनुमत निर्मित क्षेत्र का 5 प्रतिशत होटल गतिविधियों से संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
– वाहन विराम स्थल हेतु प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होगें।</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>6.9 औद्योगिक विकास के मानक
अभिन्यास के मानक
औद्योगिक क्षेत्रो के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होगेः–
1. भू–खण्ड का क्षेत्र– अधिकतम 60 प्रतिशत
2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र– अधिकतम 30 प्रतिशत
3. दुकानें एवं अन्य सुविधायें– न्यूनतम 10 प्रतिशत
औद्योगिक क्षेत्र हेतु विकास मापदंड सारणी 6–सा–6
<table>
<tr><th rowspan="2">क्रं</th><th rowspan="2">भूखण्ड का आकार</th><th rowspan="2">अधिकतम निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)</th><th colspan="3">न्यूनतम सीमान्य खुला क्षेत्र</th><th rowspan="2">अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात</th></tr>
<tr><th>सामने</th><th>आजू/बाजू</th><th>पीछे</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>1</td><td>0.05 हेक्टेयर</td><td>60</td><td>3</td><td>3/2.5</td><td>2.5</td><td>1.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0.05हेक्टयरसे अधिक 0.1 हेक्टेयर तक</td><td>55</td><td>5</td><td>4/2.5</td><td>2.5</td><td>0.8</td></tr>
<tr><td>3</td><td>0.1 हेक्टेयर से अधिक 0.2 हेक्टेयर तक</td><td>50</td><td>9</td><td>3/4.5</td><td>3.0</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>0.2 हेक्टेयर से अधिक 1.0 हेक्टेयर तक</td><td>45</td><td>10</td><td>4.5/6</td><td>3.0</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>5</td><td>1.0 हेक्टेयर से अधिक 2.0 हेक्टेयर तक</td><td>45</td><td>12</td><td>6/6</td><td>4.5</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2.0हेक्टेयर से अधिक</td><td>33</td><td>15</td><td>6/6</td><td>4.5</td><td>0.75</td></tr>
</table>
</td>
<td>6.9 औद्योगिक विकास के मानक
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48 के अनुरूप मान्य होंगे।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>
6.9.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियाँ
– न्यूनतम भूखण्ड आकार 1000 वर्गमीटर
– निर्मित क्षेत्र – 50 प्रतिशत अधिकतम
– फर्शी क्षेत्र – 1.50 अधिकतम
– सीमान्त खुला क्षेत्र स्थल स्थिति/वाहन विराम सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार
</td>
<td>
6.9.1 फ्लेटेड फैक्ट्रियाँ
मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48 के अनुरूप मान्य होंगे।
</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>
6.13 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड़
बालाघाट – वाहन विराम मापदण्ड सारणी 6–सा–12
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>उपयोग परिक्षेत्र</th><th>ई0सी0एस0 प्रति 100 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल पर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आवासीय
समूह आवासीय, भूखण्डीय विकास (250 वर्गमीटर से बड़े) एवं मिश्रित उपयोग</td><td>0.50–1.50</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वाणिज्यिक
(अ) थोक व्यापार एवं परिवहन परिसर (लोडिंग, अनलोडिंग वाहन विराम की आवश्यकता सहित)</td><td>1.50–2.50</td></tr>
<tr><td></td><td>(ब) नगर केन्द्र, उपनगर केन्द्र, होटल, सिनेमा एवं अन्य</td><td>1.00–2.00</td></tr>
<tr><td></td><td>(स) सामुदायिक केन्द्र, स्थानीय दुकानें, सुविधाजनक दुकानें, अल्पाहार गृह</td><td>0.50–1.50</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं
(अ) नर्सिंग होम, चिकित्सालय (शासकीय को छोडकर) सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संस्थायें, शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय कार्यालय</td><td>0.50–1.50</td></tr>
<tr><td></td><td>(ब) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, शासकीय चिकित्सालय</td><td>0.25–0.75</td></tr>
</table>
</td>
<td>
6.13 वाहन विराम स्थल के मापदण्ड़
बालाघाट – वाहन विराम मापदण्ड सारणी 6–सा–12

समस्त उपयोग परिक्षेत्रों में पार्किंग हेतु मापदण्ड म0प्र0 भूमि नियम 2012 के नियम 84(1) प्रावधानों के अनुरूप होगा।
</td>
</tr>
</table>

		4. औद्योगिक छोटे एवं सेवा उद्योग, फ्लेटेड ग्रुप फैक्ट्री, वृहद् उद्योग	0.50–1.00	
14.	**6.15 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति** **बालाघाट स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग** **सारणी 6–सा–14** **1.आवासीय (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** व्यवसायिक कार्यालय या धरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम , कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, हल्के वाहनो की मरम्मत से संबंधित दुकानें,छविगृह, संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केंद्र, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सामुदायिक भवन, तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट–जे भाग–1 एवं भाग–2 में सम्मिलित उद्योग। **2. वाणिज्यिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केंद्र, प्रदर्शनी केंद, कला केंद्र, संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला, आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38(1) परिशिष्ट–जे में सम्मिलित उद्योग, पेट्रोल पंप सह सर्विस स्टेशन। **3. औद्योगिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** **(अ) सेवा उद्योग** पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थाएं, कूडाकरकट स्थान (जंकयार्ड) शो रूम, दुकानें, उपाहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग। **(ब) अन्य उद्योग** आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, गोदाम बस टर्मिनल गृह, रेलवे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 38में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग। **4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य**	**6.15 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति** **बालाघाट स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6–सा–14** **1.आवासीय (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** व्यवसायिक कार्यालय या धरेलू व्यवसायिक इकाई, नर्सिंग होम , कार्यालय, होटल, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, हल्के वाहनो की मरम्मत से संबंधित दुकानें, छविगृह, मल्टीप्लेक्स, संग्रहालय, पैकिंग इकाई, गैस बुकिंग केंद्र, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सामुदायिक भवन, तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट–जे भाग–1 एवं भाग–2 में सम्मिलित उद्योग। **2. वाणिज्यिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** धर्मशाला, सभागृह, सांस्कृतिक प्रचार केंद्र, प्रदर्शनी केंद, कला केंद्र, संग्रहालय, संगीत नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय एवं कर्मशाला, आवासीय फ्लेट, सेवा उद्योग, प्रेस परिसर, कर्मशाला, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37(1) परिशिष्ट–जे में सम्मिलित उद्योग, पेट्रोल पंप सह सर्विस स्टेशन। **3. औद्योगिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** **(अ) सेवा उद्योग** पेट्रोल पंप, परिवहन संस्थाएं, कूडाकरकट स्थान (जंकयार्ड) शो रूम, दुकानें, उपाहार गृह, माल गोदाम, अग्रेषण अभिकरण, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग। **(ब) अन्य उद्योग** आवश्यक श्रमिक आवास, बस डिपो कर्मशाला, गोदाम बस टर्मिनल गृह, रेलवे माल गोदाम, सेवा कर्मशाला, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 में वर्णित उद्योग तथा सूचना तकनीकी से संबंधित उद्योग। **4. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा**

	भूमि उपयोग) धर्मशाला, आश्रय गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, आवश्यक आवास गृह, उपहार गृह एवं खेल मैदान, कला केंद्र, पेट्रोल पंप, सह सर्विस स्टेशन। **7. कृषि (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** पेट्रोल पंप, सह सर्विस स्टेशन, कब्रिस्तान, श्मशान, मल–शोधन केंद्र, खंती स्थान,ईट–भट्टे एवं कुम्हारी कार्य, पत्थर तोडने का कार्य , दूध एवं कुक्कुट पालन, माल गोदाम, चारागाह एवं वृक्षारोपण, एल.पी.जी. गोदाम, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतजन केंद्र सेवाएं, खाद एवं बीज संग्रहण केंद्र, कृषि यांत्रिकी सुधार प्रतिष्ठान, शीतगृह, ढाबा।	**स्वीकार्य भूमि उपयोग)** धर्मशाला, आश्रय गृह, क्लब, फुटकर एवं मरम्मत की दुकानें, आवश्यक आवास गृह, उपहार गृह एवं खेल मैदान, कला केंद्र, पेट्रोल पंप, सह सर्विस स्टेशन। सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** **7. कृषि (कॉलम 4 सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग)** पेट्रोल पंप, सह सर्विस स्टेशन, कब्रिस्तान, श्मशान, मल–शोधन केंद्र, खंती स्थान,ईट–भट्टे एवं कुम्हारी कार्य, पत्थर तोडने का कार्य , दूध एवं कुक्कुट पालन, माल गोदाम, चारागाह एवं वृक्षारोपण, एल.पी.जी. गोदाम, ट्रक पार्किंग, दुग्ध शीतजन केंद्र सेवाएं, खाद एवं बीज संग्रहण केंद्र, कृषि यांत्रिकी सुधार प्रतिष्ठान, खुला मॉल, शीतगृह, ढाबा। सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होगें।
व्याख्या - i * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें। ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार। टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी।		
15	**6.18 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया** विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्त्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है– 1. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें नियम 17 में उल्लेखित जानकारी का समावेश हो । 2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण खसरा पंचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण। 3. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर या	**6.18 विकास/निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया** विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्त्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज/जानकारी संलग्नित की जाना आवश्यक है– 1. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (1) के अंतर्गत निर्धारित अनुज्ञा प्रपत्र में अनुज्ञा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये, जिसमें नियम 17 में उल्लेखित जानकारी का समावेश हो । 2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण खसरा पंचसाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण। 3. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/सड़कों के नाम जिस पर

	जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू सीमाएं) 4. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हो साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाए हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जाये। 5. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित। 6. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन। 7. 1:500/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्डे, पहाड़ियाँ, वृक्ष यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राइट ऑफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों में सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हो। 8. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र 9. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होगें। 10. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन। 11. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानो के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये। 12. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अर्तगत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना होगा । 13. म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49(3) में निहित प्रावधानों के अंर्तगत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। 14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू–दृश्यीकरण	या जिसके सामने संपदा स्थित हो एवं भू सीमाएं) 4. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हो साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाए हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जाये। 5. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित। 6. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुंच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन। 7. 1:500/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरूप जैसे नाले, गड्डे, पहाड़ियाँ, वृक्ष यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राइट ऑफ वे दर्शाते वर्तमान मार्ग विद्युत एवं टेलीफोन के खंभे, वृक्ष एवं अन्य सभी संबंधित स्वरूप जो समीपस्थ क्षेत्रों में सामंजस्य करने हेतु आवश्यक हो। 8. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान/मानचित्र 9. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु भवन के वास्तुविदीय विवरण प्रस्तुत करना होगे। 10. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन। 11. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानो के अनुरूप विकास/निवेश अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये। 12. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण/जानकारी या अधिनियम के अर्तगत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप प्रमाण/जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्नित होना होगा। 13. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49(3) में निहित प्रावधानों के अंर्तगत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करें। 14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत

	प्लान, जहाँ आवश्यक हो, वहां की परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगें। 15. म.प्र. नगर पालिका/ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण का निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के तहत रजिस्ट्रीकरण टीपः– 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।	वास्तुविद/यंत्री/नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित यथोचित भू–दृश्यीकरण प्लान, जहाँ आवश्यक हो, वहां की परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रूपांकन योजना दर्शायी गयी हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगें। 15. म.प्र. नगर पालिका/ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण का निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के तहत रजिस्ट्रीकरण टीपः– 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंर्तगत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 2. भूमि विकास/निवेश अनुज्ञा संबंधी म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा।
16	**अध्याय–7** **विकास योजना का कियान्वयन** विकास योजना को कार्यान्वित एवं प्रभावशील करने हेतु यथा संभव पूर्ण प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुर्ननिर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन तकनीकी सलाह देकर किया जाए, जिससे कि प्रस्तावित निर्माण, अनुमोदित विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप हो।विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जबकि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जाए। भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है।	**अध्याय–7** **विकास योजना का कियान्वयन** विकास योजना को कार्यान्वित एवं प्रभावशील करने हेतु यथा संभव पूर्ण प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगतया संगठित रूप से निर्माण, पुर्ननिर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन तकनीकी सलाह देकर किया जाए, जिससे कि प्रस्तावित निर्माण, अनुमोदित विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप हो।विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जबकि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जाए। भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है।
17	**7.2 योजना कियान्वयन की नीति** **9.** ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भू–खण्ड का आकार म.प्र. भूमि विकास नियम, 1984 के नियम–53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जंहा कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।	**7.2 योजना कियान्वयन की नीति** **9.** ऐसे आवासीय प्रक्षेत्र में भू–खण्ड का आकार म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम–53 (1) एवं (2) के अनुसार एवं खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जंहा कहीं विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में " मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

गुलशन बामरा, आयुक्त–सह–संचालक.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्र. एस. डब्ल्यू-नौ-20-2018-150.—जिला गुना के थाना कुंभराज अंतर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी मृगवास का थाने में उन्नयन के संबंध में, राज्य शासन, गृह विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ2(क)-10-2015-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 6 सितम्बर 2018 द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्रामों को नवीन पुलिस चौकी के हिस्से में एतद्द्वारा सम्मिलित किया जाता है :—

क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	पुलिस थाने का नाम जिसे सम्मिलित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	थाना कुंभराज चौकी मृगवास के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची	मृगवास, बटावदा, कांकरया, बकान्या, टटूजखेड़ी, कराड़या, गाद्या, विसातपुर, कड़ईयाखुर्द, गूजरखेड़ी, कालीकराड़, सोलई, तलावड़ामेड़ा, गोविन्दपुरा, पंडितपुरा, जामुन्याखुर्द, साल्याखेड़ी, हाथीपुरा, मेतीपुरा, बंजाराखुर्द, गोमुख, बोरखेड़ी, जेहरीपुरा, मोईया, उमरयाखुर्द, पीपल्या, बोरकाखेड़ा, रामपुरा, फतेहपुर, पटनावाड़ी, लीलवेह, लीलवेहखुर्द, रामपुरया, सेजीपुरा, डोलीपुरा, लामपठार, बड़खुआ.	थाना कुंभराज की चौकी मृगवास बांसाहेड़ा, सानई एवं चाचौड़ा के 08 ग्राम कुल 94 ग्रामों को मिलाकर चौकी मृगवास का थाना उन्नयन के
2.	थाना कुंभराज चौकी बांसाहेड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची.	बांसाहेड़ाकला, बांसाहेड़खुर्द, खेड़ीकला, झीकनी, जामोन्याजागीर, कोलूखेड़ी, बड़ागांव, मोतीपुरा, बूड़ाखेड़ा, घीस्याखेड़ी, खानपुरया, कमलपुरा, पगड़ीघटा, बाड़ाबर्रा, तरीपटनी, बांकखेड़ा, मसूरीखो, केकड़ीवीरान, खेड़ीआवा, खेड़ीघटा, सेवन्या, घोरलाखेड़ी.	
3.	थाना कुंभराज चौकी सानई के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची.	सानई, कड़याकला, करमोदिया, मदागनखेड़ी, आम्वेहचक्क, गसोनी, बड़नगर, पोलासपुरा, गोपालगढ़, तलवड़ा वेहनजदीकसानई, बेड़ावेहचक्क, दाताकाचक, झिरी, साल्यावेह, खेरवेह, बंजारीकला, कोलम्बेह, नाथूकापुरा, पीपलखेड़ा, भोगीपुरा, दांत, बेड़ावेह, बड़ोद, ऑखखेड़ी, लम्बाचक्क,	
4.	थाना चाचौड़ा के ग्राम जिनको मृगवास में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है.	पीपलहेड़ा, पीपलखेड़ी, नैनवास, मोहम्मदपुर, कुसुमपुरा, सागोदिया, तलावटी, बलावली.	

पुलिस थाना चाचौड़ा के 08 ग्राम चौकी मृगवास के 37 ग्राम चौकी बोसाहेड़ा के 23 ग्राम चौकी सानई के 25 ग्राम के उपरोक्तानुसार कालम नं. 3 में वर्णित कुल 94 ग्रामों/मौहल्ले एतद्द्वारा सम्मिलित किये गये हैं, तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग क के विनियम 575 के प्रावधान अनुसार पुलिस अधीक्षक गुना के कार्यालय में रखी गई है.

उक्त नव सृजित नवीन पुलिस थाना मकसूदनगढ़ के अस्तित्व में आने से थाना मकसूदनगढ़ के संचालन, संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है.

विजय दत्त, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ. 15–13/2018/सात/शाखा–7. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

अनुसूची

जिला–देवास

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(4)
	तहसील–देवास	
1.	1. मूल ग्राम–भैसूनी, प.ह.नं.–10 2. नवीन ग्राम–विजयगंज मंडी	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
	तहसील–हाटपीपल्या	
2.	1. मूल ग्राम–मानकुण्ड प.ह.नं.–07 2. नवीन ग्राम–धानीघाटी	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
3.	1. मूल ग्राम–महूखेडा प.ह.नं.–35 2. नवीन ग्राम–लालाखेडी	
4.	1. मूलग्राम–पालखा प.ह.नं.–28 2. नवीन ग्राम–लक्ष्मीपुरा	
5.	1. मूलग्राम–ग्यारसपुरा प.ह.नं.–27 2. नवीन ग्राम–नया ग्यारसपुरा	
	तहसील–बागली	
6.	1. मूलग्राम–मुकुन्दगढ प.ह.नं.–27 2. नवीन ग्राम–अम्बाझर	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
7.	1. मूलग्राम–धावडिया प.ह.नं.–29 2. नवीन ग्राम–खेडा	
8.	1. मूलग्राम–करनावद प.ह.नं.–03 2. नवीन ग्राम–हीरापुर	
9.	1. मूलग्राम–होरियाखो प.ह.नं.–03 2. नवीन ग्राम–विश्राम	
	तहसील–उदयनगर	
10.	1. मूलग्राम–आगराखुर्द प.ह.नं.–53 2. नवीन ग्राम–झुलादड	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
	तहसील–कन्नौद	
11.	1. मूलग्राम–बाबडीखेडा प.ह.नं.–06 2. नवीन ग्राम–सेतीखेडा	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
12.	1. मूलग्राम–अम्बाडा प.ह.नं.–32 2. नवीन ग्राम–दावतपुरा	

	तहसील–सतवास	
13.	1. मूलग्राम–गर्डीझाबरिया प.ह.नं.–32 2. नवीन ग्राम–गर्डी	अधीक्षक भू–अभिलेख (नियमित)
14.	1. मूलग्राम–बडकनखारी प.ह.नं.–39 2. नवीन ग्राम–खारी	
15.	1. मूलग्राम–निमासा प.ह.नं.–38 2. नवीन ग्राम–इन्द्रापुरी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्र. एफ–15–13–2018–सात–शा–7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–15–06–2018–सात–शा.–6, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2018

No. F. 15-13/2018/VII/Sec.6- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959, (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

District- Dewas

S.No.	Name of the Village(s) with P.C.No.	Designation of the Officer Authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
	TAHSIL-DEWAS	
1.	1. Original Village- Bhaisuni 2. New Villages- Vijayganj Mandi P.C.No. 10	Superintendent of Land Records (regular)
	TAHSIL-HATPIPLYA	
2.	1. Original Village- Mankund 2. New Villages- Dhanighati P.C.No.07	Superintendent of Land Records (regular)
3.	1. Original Village- Mahukheda 2. New Villages- Lalakhedi P.C.No. 35	
4.	1. Original Village- Palkha 2. New Villages- Laxmipura P.C.No. 28	
5.	1. Original Village- Gyaraspura 2. New Villages- Naya Gyaraspura P.C.No. 27	

	TAHSIL-BAGLI	
6.	1. Original Village- Mukundgarh 2. New Villages- Ambajhara P.C.No. 27	Superintendent of Land Records (regular)
7.	1. Original Village- Dhavdia 2. New Villages- Kheda P.C.No. 29	
8.	1. Original Village- Karnawad 2. New Villages- Hirapur P.C.No. 03	
9.	1. Original Village- Horiyakho 2. New Villages- Visram P.C.No. 03	
	TAHSIL-UDYANAGAR	
10.	1. Original Village- Agrakhurd 2. New Villages- Jhuladad P.C.No. 53	Superintendent of Land Records (regular)

	TAHSIL-KANNAUD	
11.	1. Original Village- Bawdikheda 2. New Villages- Setikheda P.C.No. 06	Superintendent of Land Records (regular)
12.	1. Original Village- Ambada 2. New Villages- Dawatpura P.C.No. 32	
	TAHSIL-SATWAS	
13.	1. Original Village- Gardijhabria 2. New Villages- Gardi P.C.No. 32	Superintendent of Land Records (regular)
14.	1. Original Village- Badkankhari 2. New Villages- Khari P.C.No. 39	
15.	1. Original Village- Nimasa 2. New Villages- Indrapuri P.C.No. 38	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) उज्जैन
जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

प्ररुप– "ख"

{ नियम– 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक 6088–ए–भू–अर्जन–2018–क्र. 02–अ–82–2018–19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	49	0.023
			50	0.067
			52	0.025
			95	0.090
			96	0.005

तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2	3	4	5
उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	112/2	0.016
		112/3	0.009
		115	0.019
		117/1	0.020
		135	0.025
		154	0.003
		158	0.013
		136	0.030
		152	0.020
		155	0.029
		157/1	0.037
	कुल योग	**16**	**0.431**

क्र. 02-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	49	0.023
			50	0.067
			52	0.025
			95	0.090
			96	0.005

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	112/2	0.016
			112/3	0.009
			115	0.019
			117/1	0.020
			135	0.025
			154	0.003
			158	0.013
			136	0.030
			152	0.020
			155	0.029
			157/1	0.037
		कुल योग	**16**	**0.431**

अनुविभागीय अधिकारी (राज.)

क्रमांक 6090-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 06-अ-82-2018-19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	118	0.053
			119	0.014
			121	0.026
			122	0.013

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	123/2	0.017
			124	0.030
			319	0.029
			322/2/1	0.020
			322/2/2	0.007
			322/3/1	0.005
			322/3/2	0.005
			323/1	0.002
			323/2	0.010
			323/3	0.005
			323/4	0.005
			323/5	0.004
			342	0.022
			351	0.004
			343/1	0.020
			343/2	0.023
			345/1/1/1	0.015
			345/1/1/2	0.006
			348/4	0.041
			352/2	0.002
			352/3	0.055
			445/2	0.052
			457/1	0.006
			457/2	0.018
			457/3	0.016
			458	0.008
			459	0.008
			460	0.010
			461	0.008
			463	0.004
			464/1	0.010
			464/2	0.041
		कुल योग	36	0.614

क्रमांक भू-अर्जन-2018-क्र. 06-अ-82-2018-19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	118	0.053
			119	0.014
			121	0.026
			122	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	123/2	0.017
			124	0.030
			319	0.029
			322/2/1	0.020
			322/2/2	0.007
			322/3/1	0.005
			322/3/2	0.005
			323/1	0.002
			323/2	0.010
			323/3	0.005
			323/4	0.005
			323/5	0.004
			342	0.022
			351	0.004
			343/1	0.020
			343/2	0.023
			345/1/1/1	0.015
			345/1/1/2	0.006
			348/4	0.041
			352/2	0.002
			352/3	0.055
			445/2	0.052
			457/1	0.006
			457/2	0.018
			457/3	0.016
			458	0.008
			459	0.008
			460	0.010
			461	0.008
			463	0.004
			464/1	0.010
			464/2	0.041
		कुल योग	**36**	**0.614**

क्रमांक 6092-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 03-अ-82-2018-19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	1/3	0.020
			13	0.041
			14/1	0.040
			359	0.013
			360	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	372	0.044
			373	0.036
			380	0.036
			381	0.025
			387	0.005
			390	0.019
			388/2	0.002
			389/1	0.009
			389/2	0.016
			400/1	0.029
			400/2	0.003
			401/2	0.017
			402	0.007
		कुल योग	**18**	**0.391**

क्षेत्र अधिकारी

क्रमांक भू-अर्जन-2018-क्र. 03-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	1/3	0.020
			13	0.041
			14/1	0.040
			359	0.013
			360	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	372	0.044
			373	0.036
			380	0.036
			381	0.025
			387	0.005
			390	0.019
			388/2	0.002
			389/1	0.009
			389/2	0.016
			400/1	0.029
			400/2	0.003
			401/2	0.017
			402	0.007
		कुल योग	**18**	**0.391**

क्रमांक 6094-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 01-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	87	0.024
			91	0.041
			276	0.024
			95/2/2	0.005
			99	0.045

निरंतर 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	100	0.016
			102	0.013
			257/2	0.005
			263	0.024
			264	0.024
			265	0.002
			270	0.013
			271	0.010
			272	0.022
			273	0.017
			274	0.007
			275/1	0.024
		कुल योग	**17**	**0.316**

क्रमांक भू-अर्जन-2018-क्र. 01-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	87	0.024
			91	0.041
			276	0.024
			95/2/2	0.005
			99	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	100	0.016
			102	0.013
			257/2	0.005
			263	0.024
			264	0.024
			265	0.002
			270	0.013
			271	0.010
			272	0.022
			273	0.017
			274	0.007
			275/1	0.024
		कुल योग	**17**	**0.316**

क्रमांक 6096-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 05-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	10/1	0.017
			18/1	0.016
			811/3	0.002
			19	0.010
			23	0.003

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	20/1	0.006
			20/2	0.014
			20/963	0.012
			32/मिन-2	0.002
			33	0.035
			34	0.009
			35/2	0.024
			85	0.048
			35/1	0.005
			86	0.020
			87/1/1	0.006
			87/1/2	0.002
			127/1/मिन-1	0.011
			127/2/2	0.014
			127/3/2	0.012
			129/1	0.014
			132	0.021
			133	0.011
			134	0.026
			135	0.019
			217	0.014
			218/2	0.016
			635	0.007
			218/3	0.005
			633	0.022
			634	0.011
			636/1	0.021
			738/2	0.009
			739	0.006
			740/1	0.021
			742	0.014
			743	0.004
			810/1	0.016
			810/2	0.024
			837	0.024
			811/1	0.027
			811/2	0.022

निरंतर– 3

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	836	0.002
			838	0.016
			839	0.023
			841/1	0.016
			872/2	0.020
			875	0.005
			841/2	0.017
			869	0.018
			870/1	0.009
			870/2	0.043
			871/1	0.015
			881	0.011
			934	0.018
			935	0.032
			954	0.008
			955/1	0.008
			956/1	0.017
			956/2	0.010
			957	0.013
			958	0.002
		कुल योग	62	0.925

क्षेत्रीय अधिकारी

कमांक– 05/**अ–82/**2018-19 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	10/1	0.017
			18/1	0.016
			811/3	0.002
			19	0.010
			23	0.003

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	20/1	0.006
			20/2	0.014
			20/963	0.012
			32/मिन–2	0.002
			33	0.035
			34	0.009
			35/2	0.024
			85	0.048
			35/1	0.005
			86	0.020
			87/1/1	0.006
			87/1/2	0.002
			127/1/मिन–1	0.011
			127/2/2	0.014
			127/3/2	0.012
			129/1	0.014
			132	0.021
			133	0.011
			134	0.026
			135	0.019
			217	0.014
			218/2	0.016
			635	0.007
			218/3	0.005
			633	0.022
			634	0.011
			636/1	0.021
			738/2	0.009
			739	0.006
			740/1	0.021
			742	0.014
			743	0.004
			810/1	0.016
			810/2	0.024
			837	0.024
			811/1	0.027
			811/2	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	836	0.002
			838	0.016
			839	0.023
			841/1	0.016
			872/2	0.020
			875	0.005
			841/2	0.017
			869	0.018
			870/1	0.009
			870/2	0.043
			871/1	0.015
			881	0.011
			934	0.018
			935	0.032
			954	0.008
			955/1	0.008
			956/1	0.017
			956/2	0.010
			957	0.013
			958	0.002
		कुल योग	**62**	**0.925**

क्रमांक 6098-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 08-अ-82-2018-19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	40/2	0.008
			41/2	0.034
			42/1	0.080
			96/2	0.048

अनुविभागीय अधिकारी

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	96/4	0.025
			97	0.002
			176	0.029
			125/2	0.006
			128/1	0.011
			126	0.037
			153/1	0.036
			175	0.023
			177	0.024
			183	0.072
		कुल योग	14	0.435

क्रमांक भू-अर्जन-2018-क्र. 08-अ-82-2018-19.— अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	40/2	0.008
			41/2	0.034
			42/1	0.080
			96/2	0.048

अनुविभागीय अधिकारी

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	96/4	0.025
			97	0.002
			176	0.029
			125/2	0.006
			128/1	0.011
			126	0.037
			153/1	0.036
			175	0.023
			177	0.024
			183	0.072
		कुल योग	**14**	**0.435**

अनुविभागीय अधिकारी

क्रमांक 6104-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 07-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **'उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–देवराखेड़ी, प.ह.नं.– 81	41	0.004
			42	0.019
			43/2	0.014
			78/2	0.028
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–देवराखेड़ी, प.ह.नं.– 81	51	0.004
			54	0.020
			57	0.013
			58	0.019
			107/3	0.003
		कुल योग	9	0.124

क्रमांक– ......071 अ–82/2018-19........ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–देवराखेड़ी, प.ह.नं.– 81	41	0.004
			42	0.019
			43/2	0.014
			78/2	0.028
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–देवराखेड़ी, प.ह.नं.– 81	51	0.004
			54	0.020
			57	0.013
			58	0.019
			107/3	0.003
		कुल योग	**9**	**0.124**

क्रमांक 6106-ए-भू-अर्जन-2018-क्र. 04-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कल्याणपुरा, प.ह.नं.– 73	228/3	0.009
			228/4	0.019
		कुल योग	02	0.028

अनुविभागीय अधिकारी

क्रमांक भू-अर्जन-2018-क्र. 04-अ-82-2018-19.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन मेंजल परिवहन हेतु ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक– 32, बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछायें जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला– उज्जैन** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कल्याणपुरा, प.ह.नं.– 73	228/3	0.009
			228/4	0.019
		कुल योग	02	0.028

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	विश्रामगंज	ग्राम विश्रामगंज की शासकीय आराजी का क्षेत्रफल 8656.30 वर्ग मी. पर निर्मित कुल 134 मकान.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभावित मकानों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. 729-भू-अर्जन-2017-18-प्र. क्र. 1-अ-82-2018.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पत्र क्रमांक इंदौर-डब्ल्यू-दिनांक एवं इंदौर-डब्ल्यू-दिनांक 18 दिसम्बर 2018 प्रस्तुत कर इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु इंदौर-देवास के मध्य निजी भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग में ली जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण धारा 9 के तहत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म. प्र.) के ज्ञापन क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुये मैं, निशांत वरवडे, कलेक्टर, जिला इंदौर (म. प्र.) एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10ए अनुसार लोकहित के दृष्टिगत प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित समाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				प्रस्तावित अनुमानित	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर		केलोदहाला	0.594	इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण
			शक्करखेड़ी	0.261	के प्रयोजन हेतु.
			भानगढ	0.219	

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी जिला इंदौर (म. प्र.)/उप मुख्य इंजीनियर निर्माण (पश्चिम रेलवे) इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 731-भूर्जन-2017-18-प्र. क्र. 1-अ-82-2017-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 समाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन में आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	केलोदहाला	0.594	उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण)	इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण
		शक्करखेड़ी	0.261	पश्चिम रेलवे इंदौर (म. प्र.).	के प्रयोजन हेतु.
		भानगढ	0.219		

नोट.—(1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला इंदौर (म. प्र.) उप मुख्य इंजीनियर निर्माण (पश्चिम रेलवे) इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

पत्र क्र. 1785-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गड़ेहरा	0.328	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन, एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1787-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	देवखर	1.569	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर व अंतिम छोर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन, एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1789-प्रका.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	रिसदा	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1791-प्रका.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	कुचावट	2.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1793-प्रका.-भू-अर्जन-18-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया

जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मझियारी	1.500	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1795-प्रका.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घुसरूम	1.200	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक एवं पुनर्वास, भू-अर्जन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1799-प्रशा.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 1913 की धारा 11 (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि रहट सब-माइनर नं. 3 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मकरवट	0.016	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	रहट सब-माइनर नं. 3 नहर में छूटे हुये रकबे के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

प्र. क्र. 13460-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—माफीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.151 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
406/1	0.147
401	0.080
405	1.518
403	0.721
407	0.685
योग . .	3.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"बाण्डी सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

प्र. क्र. 13677-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—मूसापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.495 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/1	0.465
155/1	0.405
155/2	0.210
159	0.270
163/1	0.550
163/2	0.450
163/3	0.280
163/4	0.305
164	0.405
166/2	0.155
योग . .	3.495

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"बाण्डी सिंचाई तालाब योजना के निर्माण हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

क्र. 360-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—पछाया
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—57.153 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1/1	0.065
2/1/2/1	0.041
2/1/2/2	0.142
2/1/3	0.745
2/1/4	0.235
2/2/1	2.032
2/2/2	0.732
2/3/1	0.405
2/3/2	0.203
2/4/1	0.113
2/4/2	0.185
2/5	1.230
2/8	0.138
2/16	0.020
2/17	0.130
2/18	0.182
159/3, 160/3	1.275
159/4, 160/4	0.550
159/5, 160	0.356
161/1/1, 162/1/1	1.068
161/1/2, 162	0.809
161/1/3, 162/1/3	0.809
161/2/1, 162/2	2.020
161/2/2/1, 162/2/2/1	1.505
161/2/2/2, 162/2/2/2	1.505
161/2/2/3, 162	1.505
161/3/1, 162	0.204
161/3/2, 162	0.372
161/4, 162	0.445
161/5, 162	0.608
161/6, 162	0.360
163/1	0.405
163/2	0.304
163/3	0.344
163/4	0.328
163/5	0.283
164/1	0.769
164/2/1	0.203
164/2/2	0.202
164/3/1	0.283
164/3/2	0.284
165	2.072
166	1.161
167/1	1.712
167/2	0.486
167/3	0.146
167/4	0.542
167/5	0.830
167/6	0.736
167/7	0.332
167/8	0.299
167/9	1.497
167/10	0.494
161/11	1.052
167/12	0.587
167/13	0.736
172/1	0.223
172/2	0.223
172/3	0.445
172/4	0.242
172/5	0.222
173	4.042
195/2	0.053
195/3	0.348

(1)	(2)
195/4	0.073
195/5	1.008
196	0.045
197, 198	0.534
199, 201/2	0.889
200	2.324
202	2.678
204	1.835
205	1.315
206	0.235
207	2.085
214	2.193
217	0.065
योग . .	57.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 361-भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—जेनूद

(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—6.414 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
25/1, 27/2	0.300
25/2/2/1, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1	0.421
25/2/3, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/191/1	0.075
25/2/5, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1	0.016
25/2/6, 28, 29, 31/1, 32, 33, 34/1, 31/119/1	0.089
26/1/2, 27	0.069
36/1	0.504
36/2	0.204
36/3	0.221
38/1	0.190
39/1	0.048
39/2/1	0.558
39/2/2	0.380
39/3	0.387
39/4	2.111
39/5	0.040
40/1	0.049
40/2	0.283
42/1/ख/1, 42/2, 42/1, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 9502/1	0.168
42/1/ख/2, 42/2/ख/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3/ख/2	0.130
42/1/ग, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3	0.123
45/1	0.048
योग . .	6.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 362-भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—मेहत्याखेडी
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—44.546 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
127	0.728
163/1	0.465
163/2	0.061
165/1	0.178
165/2	0.364
166/1	0.057
166/2	0.040
166/3	0.020
167	0.162
169/1	1.178
169/2	1.173
171	0.121
173	0.417
175/1	0.121
175/2	1.141
176/1	1.336
176/2	0.577
178/1	0.586
178/2	0.223
179	0.243
181	0.478
182	0.433
184	0.202
186	0.121
193/1, 194/1	1.619
193/2/1, 194/2/1	0.801
193/2/2, 194/2/2	1.335
196/1/1	0.607
196/1/2	1.941
196/2/1, 200	3.528
196/2/2, 200	2.513
196/2/3, 200	0.202
202/1/1	0.526
202/1/2	1.052
202/2	0.550
202/3	1.141
202/4	0.550
204/1/1	0.866
204/1/2	0.911
204/2	0.963
204/3	0.656
204/4	2.246
204/5	0.809
204/6	0.526
204/7	1.592
208, 209	0.081
209/2	1.100
210/2	1.109
213/1	0.090
227/2	0.049
228/1/1	0.105
228/1/2	0.105
228/2	0.170

(1)	(2)
228/3	0.227
261	0.050
269/1	0.040
269/2	0.041
271/2/1/1	0.020
271/2/2	0.020
276/2	0.030
280	0.101
281/2	0.105
282	0.567
284	0.132
285	0.098
286/1	0.020
286/2	0.020
292/1/3	0.113
292/2	0.012
293, 297/3	0.090
296/1	0.016
305/5	0.020
305/6/1	0.235
305/6/2	0.259
305/6/3	0.623
305/7	0.090
306/2	0.186
307/1/2/1	0.923
307/1/2/2	2.340
योग . .	44.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 363-भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बोरगांव
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—12.220 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
387	0.081
414/1/1	0.809
414/1/2, 414/3/1	0.822
414/2	1.542
414/3/2	0.825
415/1	0.275
417/1/1	3.157
417/1/2	0.348
417/1/3	0.142
417/1/4	0.567
417/1/5	0.146
417/3	1.432
417/4	0.283
417/5/1	0.050
417/5/2	0.022
417/5/3	0.022
417/5/4	0.040
417/5/5	0.057
417/5/6	0.081
417/5/7	0.097
417/5/8	0.130
417/6	0.450
417/7	0.429
418/1	0.413
योग . .	12.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 364-भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—खेरदा
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—6.951 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/1	0.100
15/2/1	0.575
15/2/2	1.200
15/2/3	2.023
17	1.480
20/1	0.522
20/2	0.325
20/4	0.523
21/1/1	0.146
22	0.057
योग . .	6.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—"सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु".

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि भूषण सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

पत्र. क्र. 1797-प्रका.-भू-अर्जन-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—फुलदेउर
(घ) क्षेत्रफल—7.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि (अ)	शासकीय भूमि (ब)
(1)	(2)	(3)
50	0.710	-
51	0.430	-

(1)	(2)	(3)
52	0.355	–
53	0.320	–
55	0.760	–
56	0.540	–
58	0.460	–
61	0.320	–
62	–	0.200
63	0.260	–
64	0.036	–
65/5	0.080	–
209	0.220	–
211	0.328	–
212/1	0.032	–
212/2	0.038	–
212/3	0.018	–
213/1	0.090	–
213/2	0.052	–
213/3	0.036	–
213/4	0.032	–
214	0.336	–
215	0.168	–
216	0.360	–
217/3	0.120	–
217/6	0.220	–
217/8	0.156	–
217/10	0.161	–
237	0.084	–
239	0.384	–
241	–	0.151
योग :	7.006	0.351
कुल योग अ एवं ब	7.357	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

पत्र. क्र. 1801-भू-अर्जन-प्रकाशन .-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—ऐंजी
(घ) क्षेत्रफल—7.085 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
120	0.145	–
121	0.405	–
135	1.166	–
136	0.202	–
145	0.058	–
154	0.180	–
155	0.230	–
156	0.144	–
159	0.016	–
160	0.288	–
161	0.331	–
166	0.310	–
167	0.101	–
169	0.043	–
170	0.238	–
198	0.022	–
201	0.123	–
202	0.095	–
204	0.224	–
215	0.146	–
217	0.560	–
218	0.017	–
221	0.017	–
253	0.162	–
254	0.020	–
255	0.097	–

(1)	(2)	(3)
256	0.049	–
257	0.085	–
258	0.045	–
259	0.259	–
268	0.024	–
269	0.069	–
270	0.022	–
271	0.348	–
272	0.022	–
273	0.493	–
282	0.072	–
283	0.136	–
300	0.064	–
290	0.057	–
योग . .	7.085	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 1803-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—सोनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल—1.248 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
263	0.041	–
264	0.026	–
265	0.058	–
266	0.020	–
267	0.027	–
270	0.176	–
271	0.078	–
272	0.069	–
273	0.120	–
274	0.088	–
275	0.058	–
276	0.086	–
279	0.078	–
280	0.323	–
कुल योग . .	1.248	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 1805-भू-अर्जन-प्रकाशन-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—तिघरा
(घ) क्षेत्रफल—6.117 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
130	0.704	–
131	0.077	–

(1)	(2)	(3)
133	0.352	–
134	0.275	–
135	0.220	–
136	0.032	–
137	0.473	–
138	0.101	–
234	0.067	–
235	0.307	–
236	0.102	–
237	0.278	–
238	0.008	–
239	0.048	–
243	0.005	–
244	0.050	–
248	0.042	–
270	0.115	–
271	0.192	–
272	0.016	–
295	0.010	–
296	0.120	–
297	0.138	–
301	0.269	–
302	0.019	–
303	0.020	–
304	0.128	–
308	0.090	
309	0.096	–
310	0.008	–
311	0.004	–
321	0.197	–
322	0.173	–
334	0.015	–
335	0.255	–
336	0.259	–
337	0.129	–
338	0.016	–
339	0.218	–
340	0.006	–
573	0.045	–
585	0.020	–
587	0.004	–
588	0.235	–
590	0.018	–
591	0.065	–
592	0.032	–
600	0.064	–
योग . .	6.117	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''मझगवॉ शाखा नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

''भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार'' अधिनियम 2013 की धारा 93(1) के अंतर्गत

क्र. 4178-भू-अर्जन-रीडर-2017-18.—महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इंदौर, जिला-इंदौर (म. प्र.) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के लिये नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम टीही तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर-महू, जिला-इंदौर (म. प्र.) के निम्नानुसार भूमि को अर्जित किये जाने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2013-14 में पारित अवार्ड दिनांक 26 फरवरी 2016 से निम्न भूमि अर्जित की गई थी:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—डॉ. अम्बेडकर नगर-महू
(ग) ग्राम—टीही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.086 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52	0.841
53/1	0.369
53/2	0.368
54	0.518
55/क/1 पार्ट	1.103
55/ख/1	0.697
118	0.332
119/1	0.558
119/2	0.300
योग . .	5.086

उपरोक्त अर्जित भूमि की निर्धारित मुआवजा राशि 14,99,24,827/- (अक्षरी अवार्ड राशि चौदह करोड़ निन्यानवे लाख चौबीस हजार आठ सौ सत्ताईस रुपये मात्र) का भुगतान संबंधित भूमि स्वामी को नहीं हुआ तथा संबंधित विभाग द्वारा अर्जित भूमि का अधिपत्य भी प्राप्त नहीं किया गया.

उक्त संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना क्र. 546-भू-अर्जन-2014, महू, दिनांक 3 जनवरी 2014 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 274-275 पर दिनांक 10 जनवरी 2014 को किया गया था. धारा-4 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् शासन से प्राप्त निर्देशानुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार" अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत घोषणा-पत्र क्रमांक 724-भू-अर्जन-2014, महू, दिनांक 8 अगस्त 2014 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग-1 में पृष्ठ क्रमांक 2555 पर दिनांक 22 अगस्त 2014 को किया जाकर इसके अतिरिक्त स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र इन्दौर समाचार एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 15 अगस्त 2014 में भी प्रकाशन करवाया गया साथ ही सर्वधारण व प्रभावित हितधारकों की व्यक्तिशः जानकारी के लिए लोक कार्यालयों, ग्राम पंचायत एवं उनके सूचना पटल पर अधिसूचना की प्रति चस्पा कराई गई.

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल के सहमति पत्र क्रमांक 1850-858-2016-ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2016 एवं कार्यकारी संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर, जिला इन्दौर (म. प्र.) के पत्र क्रमांक क्र. औ. के. वि. नि.-इं-तक-18-29, इन्दौर, दिनांक 28 सितम्बर 2018 से प्राप्त डिनोटिफाय के प्रस्ताव से यह ज्ञात हो गया है कि संबंधित विभाग को उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि सर्वे नम्बर की आवश्यकता नहीं है.

अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार" अधिनियम 2013 की धारा 93(1) के उपबंधों अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों/हितधारकों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, भोपाल (म. प्र.) एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इन्दौर, जिला इंदौर (म. प्र.) को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने से प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-2013-14 से अर्जित उपरोक्त भूमि को अर्जन से मुक्त करते हुये डिनोटिफाय की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. 10778-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-घानाउमरी, प.ह.नं. 68, ब.नं. 144, रा.नि.मं.-नवेगांव
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल रकबा 04.000 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
44	02.500	
48/2	01.500	
योग कुल रकबा . .	04.000	हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. B-6577-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2016 से दिनांक 21 नवम्बर 2018 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि की अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. D-7358-दो-2-60-2014—श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 15 से 24 नवम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. B-6613-दो-2-75-2018.—श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी. ई.) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7369-दो-2-87-2018—श्री दीपक बन्सल, रजिस्ट्रार (जे-1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 26 दिसम्बर 2018 तक छह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2018 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक बन्सल, रजिस्ट्रार (जे-1), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक बन्सल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (जे-1) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7371-दो-2-32-2018—श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (जे-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, रजिस्ट्रार (जे-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (जे-2) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. D-7232-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

क्र. D-7252-दो-2-67-2016—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-7294-दो-2-34-2018—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर को दिनांक 23 से 25 अक्टूबर 2018 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-7296-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2018 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-7298-दो-2-23-2014.—श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2018 के एवं पश्चात् में दिनांक 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.